


14/6/19 वकील डिडीकार अप०। वकील डिडीकार ने कथन  
दिया कि प्रमाण से लभप्रियत डिडी दिनांक 19/2/19  
की पालना हो चुकी है अतः प्रमाण के आगे कोई  
कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अतः वकील डिडीकार के  
कथनानुसार डिडी की पालना हो चुकी है पत्रावली  
पर आगे कार्रवाई किए जाने का कोई औचित्य नहीं  
है अतः पत्रावली पर कार्रवाई इन्ही स्तर पर  
निलंबित की जाती है। पत्रावली में अनलक्ष्यता  
बतलाए गए से कथ की जाये।

सपक्षपडाधिकारी  
लौकपर (राज)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
28-6-19	<p>           वकील प्रतिवादी सं. 01 उपर वकील वादी            अनुपस्थित वकील वादी व वादी गण को कई            बार आवाज दिला गई है कई बार यथा            दिलावत के बावजूद वादी व उनके अधिकाधिक            उपस्थित ही आए यथा वादावली अध            हाजिरी व अध पेशी में पारित किया जाता है,            पत्रवाली के लाल मुद्रा तथा दाखिलदस्तावे            की नकल से अध हा         </p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्डाधिकारी</b>  <b>धौलपुर (राज)</b> </p>	